P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-12* March- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भरतपुर जिले में अभिवृद्धि केन्द्रों की पहचान एवं अधिवासों का पदानुक्रम

बिनेश कुमारी
पूर्व शोध छात्रा,
भूगोल विभाग,
एम.एस.जे. कॉलेज,
भरतपुर

सारांश

वर्तमान में विश्व में और विशेषकर विकासशील देशों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने, विकास के स्तर को स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक लगभग समान रखने एवं विविध प्रकार (आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक आदि) के विकास के साथ बढ़ती प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने के लिए विविध संकल्पनाओं का विकास सन् 1960 के दशक से शुरू हुआ। भारत में प्रो. आर.पी. मिश्रा ने अपने अध्ययन ''रीजनल प्लानिंग इन इंडिया (1974)'' में विकास के लिए सुझाये विविध केन्द्रों का पदानक्रमीय स्तर में वृद्धि केन्द्रों को प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने का महत्वपूर्ण कारक माना है। इन अभिवृद्धि केन्द्रों की कल्पना यह भी है कि ये औद्योगिक अभिकेन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भरतपुर जिला है। जिसमें शोधार्थी द्वारा अभिवृद्धि केन्द्रों की पहचान एवं अधिवासों का पदानुक्रम ज्ञात किया गया है। इसके लिये उपयुक्त एवं लोकप्रिय विधियों का उपयोग किया गया है।

वर्तमान अध्ययन को प्रभावी एवं तर्कपूर्ण बनाने हेतु जिले के संतुलित विकास के लिए पदानुक्रमीय क्रम में विविध अभिवृद्धि केन्द्र पहचाने गये हैं। जिनके पदानुक्रम का निर्धारण उनकी केन्द्रीयता के आधार पर किया गया है। केन्द्रीयता ज्ञात करने के पश्चात् केन्द्रीयता सूचकांक द्वारा विविध अभिवृद्धि केन्द्रों का पदानुक्रम निर्धारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि केन्द्रीयता सूचकांक विविध मानव अधिवासों द्वारा किये जाने वाले केन्द्रीय कार्यों की मात्रा एवं गुणात्मकता पर निर्भर करता है।

मुख्य शब्द : अभिवृद्धि केन्द्र, केन्द्रीयता, केन्द्रीय कार्य, पदानुक्रम।

प्रस्तावना

पदानुक्रम की विचारधारा भूगोल विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में भूगोलवेत्ताओं के साथ–साथ अमेरिकी समाजशास्त्रियों का ध्यान भी इसने अपनी ओर आकर्षित किया है। भूगोल में पदानुक्रम का अर्थ लगाया जाता है कि ''नगरीय बस्तियों में अनेक विभिन्न वर्ग समूह पाये जाते हैं। जिनमें कार्यों का जाल परस्पर संबंधित रूप से फैला होता है।'' पदानुक्रम के अर्थ को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। 'पदानुक्रम से अभिप्राय बस्तियों को उनके आकार अथवा अन्य बातों जैसे कि उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों एवं सुविधाओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना है।''

पदानुक्रम मुख्य रूप से बस्तियों की केन्द्रीयता पर आधारित है। केन्द्रीयता के हमारा अभिप्राय उस बस्ती में पाये जाने वाले केन्द्रीय कार्यों की संख्या एवं विशेषता से है। केन्द्रीय कार्य वे कार्य हैं, जो अपनी प्रकृति व स्वभाव के कारण कुछ ही बस्तियों में पाये जाते हैं। ये कार्य प्रायः असर्वगत होते हैं।

इन केन्द्रीय कार्यों का अनुपात सभी बस्तियों में समान रूप से नहीं पाया जाता और नहीं सभी बस्तियों में कार्यों का स्तर समान होता है। इन केन्द्रीय कार्यों के गुणों व विशेषताओं पर मुख्य रूप से दो बातों का प्रभाव पड़ता है। पहला, बस्ती में पाये जाने वाले कार्यों की संख्या एवं प्रकार तथा दूसरा इन कार्यों का स्तर।

ऐसा देखने में आता है कि जिन बस्तियों में कार्यों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर कार्य उच्च स्तर के ही मिलेंगे और इस प्रकार उन बस्तियों का पद भी ऊँचा होता है। इसके विपरीत एक छोटी बस्ती कम केन्द्रीय कार्य करने वाली होती है तथा उसके कार्यों का स्तर भी निम्न होता है। इस प्रकार उसका पद भी नीचा होता है अतः बस्तियों का पदानुक्रम केन्द्रीय कार्यों के पदानुक्रम से गहरा सम्बन्ध रखता है।

अगर हम केन्द्रीय कार्यों को देखते हैं तो एक केन्द्रीय कार्य के अंतर्गत अनेक उपविभाग पाये जा सकते हैं– जैसे शिक्षा कार्य प्राइमरी स्तर, जूनियर हाईस्कूल स्तर व कॉलेज स्तर पर होता है। अतः इनमें उच्च कार्य को रखने वाली बस्ती का पद ऊँचा व निम्न कार्यों को रखने वाली बस्ती का पद निम्न होगा, जैसे कॉलेज स्तर कार्य करने वाली बस्ती प्राइमरी स्कूल पर या हाईस्कूल पर कार्य करने वाली बस्ती से बड़ी होगी। अतः उसका पद भी ऊँचा होगा।

प्रस्तुत शोध पत्र में अन्तिम केन्द्रीयता गणना विधि के द्वारा अभिवृद्धि केन्द्रों को ज्ञात किया गया है। इस विधि को तीन चरणों में पूर्ण किया गया है –

1. सामाजिक सुविधा सूचकांक।
2. कार्यिक सूचकांक।
3. केन्द्रीयता गणना।

अध्ययन की समस्या एवं उद्देश्य

1. जिले आय एवं रोजगार सृजन में अभिवृद्धि केन्द्रों के विकास का महत्व ज्ञात करना।
2. अभिवृद्धि केन्द्रों के विकास की संकल्पनाओं का क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण एवं परीक्षण करना।
3. चुनिन्दा सुविधाओं को स्थापित कर अधिकतम लाभ एवं न्यूनतम विनियोजन करना।

साहित्यावलोकन

कार्यों की विविधता एवं संख्या के आधार पर नगरों का पदानुक्रम सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इसके द्वारा बस्तियों के केन्द्रीयता का सही आंकलन किया जाता है। इसके अंतर्गत नगरों का पदानुक्रम निर्धारित करने में उनसे मिलने वाली समस्त सुविधाओं एवं सेवाओं की गणना की जाती है। जिस प्रदेश की बस्तियों का पदानुक्रम निर्धारित करना होता है। उनमें इस प्रकार सबसे अधिक कार्य एवं सबसे ऊँची विशेषता रखने वाली बस्ती को सबसे ऊँचा पद दिया जाता है। इस दृष्टि से सबसे प्रमुख कार्य विस्कोसिन तथा न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय द्वारा हुआ है।

1930 के बाद से इस दिशा में अथक प्रयत्न किये गये। 1931 में होफर, 1932 में डी. सेन्डरसन, 1933 में ब्रूनर तथा कोल्ब, 1934 में आर.ई. डिकिन्सन तथा 1944 में ए.ई स्मेल्स ने इस दिशा में अलग–अलग महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। भारत में इस दिशा में सर्वप्रथम डॉ. आर.एल. सिंह ने बनारस के प्रभाव क्षेत्र की बस्तियों को उनके आकार व कार्यों के आधार पर चार वर्ग में बॉटते हुए किया है।

जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के आधार पर नगरों का पदानुक्रम विधि में केन्द्रीयता को निर्धारित करने में विद्वानों ने जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को महत्वपूर्ण आधार माना है। स्वयं क्रिस्ट्रालर ने भी बाद में एक नये सूत्र का प्रतिपादन किया, जिसमें फुटकर व्यापार में लगे व्यक्तियों की केन्द्रीयता को निर्धारित करने में आधार माना है। 1954 में स्वीडन के सेविन गोडलुण्ड ने व्यापार का प्रमुख आधार माना है तथा स्वीडन के नगरों का अध्ययन करते हुए एक नये सूत्र का प्रयोग किया है। उन्होंने नगर की जनसंख्या तथा नगर फुटकर व्यापार तथा अन्य सेवा में लगे लोगों की संख्या का अपने अध्ययन का आधार माना है।

हमारे देश में व्यापार कार्य को आधार मानते हुए एन.आर. कान ने 1960 में तथा काशीनाथ सिंह ने 1966 में गोडलुण्ड के सूत्र का अनुसरण किया था। उन्होंने 1961 की जनसंख्या को आधार मानते हुए, व्यापारिक कार्य में लगे व्यक्तियों को लेकर मध्य गंगा घाटी की बस्तियों की केन्द्रीयता को मापा है।

अनेक भूगोलवेत्ताओं द्वारा पदानुक्रम को ज्ञात करने में भिन्न–भिन्न विधियों का प्रयोग किया है। किसी ने जनसंख्या आकार को आधार माना, किसी ने कार्यों की संख्या को आधार माना है। पदानुक्रम निर्धारण की दिशा में लुइस गटमैन (1969) ने महत्वपूर्ण कार्य किया है।

नीरज चौहान ने सन् 2003 में डॉ. एम.के. खण्डेलवाल के निर्देशन में "बीकानेर जिले में नगरीय अभिवृद्धि केन्द्रों के विकास का भौगोलिक अध्ययन" विषय पर कार्य किया।

एम.आर. वर्मा ने सन् 2004 में जयपुर जिले में अभिवृद्धिों केन्द्रो का अध्ययन विषय पर कार्य किया है।

ए. गीता रेड्डी ने सन् 2011 में ^Urban Growth Theories and Settlement System in India' में अधिवासों के प्रारूपों पर प्रकाश डाला गया है।

एम.जे. मोजले द्वारा सन् 2013 में पुस्तक 'Growths centres in spatial planning' में स्थानीय नियोजन में अभिवृद्धि केन्द्रों के महत्व पर प्रकाश डाला है।

फ्लांग डब्लू यू द्वारा सन् 2015 में पुस्तक Planning for Grwoth : Urban and Regional Planning in China' में प्रादेशिक नियोजक पर प्रकाश डाला गया है।

अशोक कुमार द्वारा सन् 2016 में पुस्तक 'Urban and Regional Planning Education' में प्रादेशिक नियोजन पर प्रकाश डाला गया है।

ऊषा वर्मा, अनुराधा सहाय, वी.पी.एन. सिन्हा द्वारा सन् 2017 में पुस्तक 'Introduction to Settlement Geography' का शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में सहयोग लिया गया है।

परिकल्पनाऐं

1. आधारभूत सुविधाओं का विकास होने से अभिवृद्धि केन्द्रों का भी विकास होता है।
2. अभिवृद्धि केन्द्रों के विकास से शहरों की ओर पलायन कम होता है।

शोध रूपरेखा

प्रस्तुत शोध पत्र में आंकड़ों के स्रोत एवं विधि तंत्र

प्रस्तुत शोध पत्र में अन्तिम केन्द्रीयता गणना विधि के द्वारा अभिवृद्धि केन्द्रों को ज्ञात किया गया है। इस विधि को तीन चरणों में पूर्ण किया गया है –

1. सामाजिक सुविधा सूचकांक
2. कार्यिक सूचकांक
3. केन्द्रीयता गणना

उपरोक्त सामाजिक सुविधा सूचकांक एवं कार्यिक सूचकांक की गणना करके एवं इन दोनों का योग करके अंतिम केन्द्रीयता गणना ज्ञात किया गया है।

सामाजिक सुविधा सूचकांक
Social Amenity Index

प्रस्तुत शोध पत्र में सामाजिक सुविधा सूचकांक विधि का प्रयोग अभिवृद्धि केन्द्रों की पहचान एवं उनका पदानुक्रम निर्धारित करने के लिए किया गया है। यह केन्द्रीयता गणना विधि एक परिशुद्ध रूप है। इसमें अधिवासों में विद्यमान कार्यों की तीव्रता को केन्द्र की समुचित सुविधा मूल्य ज्ञात करते समय महत्व दिया गया है।

जिले में संभावित अभिवृद्धि केन्द्रों को कस्बों एवं गाँवों से अलग करने के लिए कार्यों एवं सामाजिक सुविधाओं के आँकड़ें विभिन्न सम्बन्धित जिला कार्यालयों से लिये गये हैं। जिले में मौजूद सभी 1472 ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का सामाजिक सुविधा सूचकांक एवं कार्यिक सूचकांक मूल्य ज्ञात करना एक अत्यन्त कठिन कार्य है अतः प्रारम्भिक स्तर पर जिले में संभावित अभिवृद्धि केन्द्रों को जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया गया है। ऐसे अधिवास जिनकी जनसंख्या 3000 से कम है अनेक हैं एवं प्रत्येक गाँवों में सुविधाऐं स्थापित करना संभव नहीं है। अतः 3000 से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को संभावित अभिवृद्धि केन्द्रों के रूप में चुना गया है।

3000 जनसंख्या से कम वाले अधिवासों को छोड़कर शेष 88 अधिवासों के आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं के आँकड़ों को सम्बन्धित जिला कार्यालयों से व्यक्तिगत रूप से एकत्रित किया गया है। उपरोक्त विधि के द्वारा अभिवृद्धि केन्द्रों की पहचान एवं पदानुक्रम निर्धारित करने के लिए 21 सुविधाओं एवं कार्यों को चुना गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में सर्वप्रथम क्षेत्र के प्रत्येक कार्य का अंकमान होता निकाला गया है। इस विधि में सम्पूर्ण जिले में मौजूद अधिवासों की संख्या एवं इन अधिवासों की संख्या ज्ञात की गई है जहाँ पर वह विशेष निर्धारित सुविधा उपलब्ध है। इस विधि की महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे–जैसे कार्यों का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे–वैसे वह कार्य कम बस्तियों में मिलता है। उसकी आवृत्ति कम होती जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि कार्य निम्न स्तर का है तो वह उस प्रदेश की अधिकांश बस्तियों में स्थापित मिलेगा तथा उसका अंकमान भी कम होगा।

उदाहरण के तौर पर एक प्रदेश में बस्तियों की संख्या 500 है तथा वहाँ हैल्थ सेंटर 100 बस्तियों में, व्यापारिक बैंक 250 बस्तियों में हैं तो इन कार्यों के लिए अंकमान इनके द्वारा दिये गये निम्न सूत्रों के अनुसार इस प्रकार होगा –

$W = N / F$

W = कार्य का अंकमान।

N = प्रदेश में स्थित बस्तियों की कुल संख्या।

F = कार्य रखने वाली बस्तियों की कुल संख्या

हैल्थ सेंटर का अंकमान = 500 / 100 = 5

व्यापारिक बैंक का अंकमान = 500 / 250 = 2

इस विधि के आधार पर निर्धारित पदानुक्रम पर उस प्रदेश के विकास के स्तर का प्रभाव पड़ता है। यदि वहाँ कार्य अधिकांश बस्तियों में मिलेंगे तो यह कहा जा सकता है कि यह एक विकसित प्रदेश है। इस विधि को अनेक विद्वानों ने अपने अध्ययनों में आधार माना है।

अंकमान निर्धारण की उपरोक्त विधि में यदि किसी स्थान पर कार्यों की मात्रा कम है तो इसका अंकमान अधिक आयेगा एवं कार्यों की मात्रा अधिक होने पर अंकमान कम आयेगा। उदाहरण स्वरूप यदि एक उच्च स्तर का कार्य कम बस्तियों में पाया गया है तो इसको अधिक अंकमान प्राप्त होता है जबकि निम्न स्तर का कार्य अधिक बस्तियों में पाया जाता है तो उसे कम अंकमान प्राप्त होता है।

अभिवृद्धि केन्द्रों की पहचान के लिए चुने गई 21 सुविधाओं एवं कार्यों का उपरोक्त सूत्र से अंकमान ज्ञात करके उनके अंकमान मूल्य के साथ निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका
सुविधाऐं एवं उनके अंकमान मूल्य

क्र.सं.	सुविधाओं के नाम	संक्षिप्त नाम	अंकमान मूल्य
1	प्राइमरी स्कूल	P	1.1
2	मेटरनिटी होम	MH	23.36
3	पोस्ट ऑफिस	PO	4.12
4	कॉमर्शियल बैंक	CM	24.53
5	उच्च प्राथमिक स्कूल	M	2.77
6	बस सेवा	BS	4.97
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	PHC	52.57
8	टेलीफोन कनैक्शन	PH	2.47
9	रेल सेवा	RS	47.48
10	माध्यमिक स्कूल	S	10.74
11	कॉपरेटिव बैंक	CP	29.44
12	न्यूज पेपर	N	2.15
13	डिस्पेन्सरी	D	40.88
14	पोस्ट एण्ड टेलीग्राम ऑफिस	PTO	147.2
15	सीनियर सैकण्डरी स्कूल	PUC	44.60
16	मैग्जीन	M	2.77
17	इलेक्ट्रिसिटी फॉर डॉमेस्टिक	ED	1.12
18	एडॉल्ट लिटरेसी क्लास / सेंटर	AC	4.50
19	इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्रीकल्चरल	EAG	6.91
20	अन्य स्कूल	O	22.64
21	हॉस्पीटल	H	147.2

प्रत्येक कार्यों के अंकमान निर्धारण के पश्चात् सामाजिक सुविधा सूचकांक (S.A.I.) की गणना के लिए अंकमान को प्रत्येक कार्य की तीव्रता से अधिवासों के अनुसार गुणा किया जाता है और उसके बाद उन सभी समुचित सुविधा गणना मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रत्येक अधिवास के अनुसार जोड़ किया जाता है।

उदाहरण के तौर पर किसी अधिवास में 2 प्राइमरी स्कूल, 4 मेटरनिटी होम और 3 डिस्पेंसरी मौजूद हैं तो इसका समुचित सुविधा गणना मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात किया गया है।

अधिवासों के कार्य
(Functions of Settlements)

क्र. सं.	प्राइमरी स्कूल	मेटरनिटी होम	डिस्पेन्सरी	योग
1.	2 x 1.11 2.22	4 x 23.36 93.44	3 x 40.88 122.64	218.3

1. प्रथम चरण में अंकमान मूल्य को कार्य की तीव्रता से गुणा किया है।
2. द्वितीय चरण में प्राप्त सभी अंकमान मूल्यों का जोड़ करके समुचित सुविधा गणना मूल्य ज्ञात किया है।

अध्ययन क्षेत्र में चुने हुए अधिवासों का समुचित सुविधा गणना मूल्य (∑A) ज्ञात कर इनका कुल योग प्राप्त करके माध्य सुविधा गणना (MA) को निम्न सूत्र से ज्ञात किया गया है –

MA = ∑ A / mA

यहाँ

mA = माध्य सुविधा गणना मूल्य

∑A = अधिवासों की समुचित सुविधा गणना मूल्य (कुल योग)।

N = चुने हुए अधिवासों की कुल संख्या।

माध्य सुविधा गणना (mA) ज्ञात करके चुने हुए प्रत्येक अधिवास की सामाजिक सुविधा सूची मूल्य (S.A.I.) निम्न सूत्र से ज्ञात किया गया है –

S.A.I. = A / mA

यहाँ

S.A.I. = सामाजिक सुविधा सूची मूल्य।

A = अधिवासों का समुचित सुविधा गणना मूल्य।

mA =माध्य सुविधा गणना मूल्य।

कार्यिक सूचकांक
Functional Index

उपरोक्त तालिका के अनुसार (S.A.I.) ज्ञात करके चुने हुए अधिवासों कार्यिक सूचकांक निम्न सूत्र से ज्ञात किया गया है –

F.I. = P / mP

यहाँ

F.I. = कार्यिक सूचकांक

P = चुने हुए केन्द्र पर द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या।

mP = चुने हुए कुल केन्द्रों पर द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का माध्य मूल्य।

उपरोक्त mP का मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र उपयोग में लाया जाता है –

mP = ∑ P / N

यहाँ

∑P = चुने हुए केन्द्रों पर द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का कुल योग।

N = अध्ययन क्षेत्र में चुने हुए अधिवासों की कुल संख्या।

कार्यिक सूचकांक ज्ञात करते समय प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या जो कि कृषि एवं पशुपालन से जुड़ी हुई है, को छोड़ दिया गया है एवं चुने हुए केन्द्रों (अधिवासों) में केवल द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या को ही शामिल किया गया है। यह द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों की जनसंख्या व्यापार, वाणिज्य, औद्योगिक क्रियाओं एवं अन्य उच्च श्रेणी के व्यवसायों में संलग्न है एवं केन्द्र में सीधे रूप से सेवाओं से जुड़े हुए हैं।

केन्द्रीयता गणना
Centrality Score

उपरोक्त S.A.I. एवं F.I. ज्ञात करने के बाद अन्तिम केन्द्रीयता गणना को निम्न सूत्र से ज्ञात किया गया है–

केन्द्रीयता गणना = S.A.I. + F.I.

केन्द्रीयता गणना ज्ञात करने के लिए सामाजिक सुविधा सूचकांक और कार्यिक सूचकांक को जोड़ दिया जाता है।

अतः अधिवासों में उपलब्ध व्यावसायिक आँकड़ों एवं सुविधाओं की मात्रा एवं गुणवत्ता पर विचार करते हुए अंतिम केन्द्रीयता सूची ज्ञात करने के लिए नये विधितंत्र को उपयोग में लाया गया है।

उपरोक्त विधियों को उपयोग में लाते हुए अध्ययन क्षेत्र के चुने हुए 88 अधिवासों की अन्तिम केन्द्रीयता गणना ज्ञात किया गया है। केन्द्रीयता गणना मूल्यों को देखते हुए उनके मूल्य में अन्तराल दिखाई देता है। जो कि अभिवृद्धि केन्द्रों एवं उनके पदानुक्रम पहचानने में उपयोग लाया गया है। केन्द्रीयता गणना मूल्यों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र भरतपुर जिले के सभी अधिवासों को पाँच पदानुक्रम वर्गों में विभाजित किया गया है। जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका
चुने हुए अधिवासों का पदानुक्रम

क्र.सं.	पदानुक्रम वर्ग	अधिवासों की संख्या	केन्द्रीयता गणना मूल्य
1.	अभिवृद्धि ध्रुव	1	20 से अधिक
2.	अभिवृद्धि केन्द्र	8	6 से 20 तक
3.	अभिवृद्धि बिन्दु	2	3 से 5.99 तक
4.	सेवा केन्द्र	21	1 से 2.99 तक
5.	ग्रामीण केन्द्र	57+1384 = 1441	1 से कम एवं 3000 जनसंख्या से नीचे वाले अधिवास

निष्कर्ष

शोधार्थी द्वारा किये गये अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 8 अभिवृद्धि केन्द्र वैर (18.44), बयाना (13.56), रूपवास (13. 32), नदबई (12.30), नगर (11.93), डीग (10.85), कुम्हेर (10.40) एवं कामां (8.50) उभरकर आते हैं। इसी प्रकार अभिवृद्धि बिन्दु, जुरहरा (3.19) और रूदावल (3.06) हैं।

इसके अतिरिक्त 21 अधिवास सेवा केन्द्रों के रूप में उभरकर सामने आये हैं। चुने हुए अधिवासों में से शेष 57 अधिवास जो कि केन्द्रीयता गणना मूल्य 1 से कम रखते हैं, ग्रामीण केन्द्र कहलाये है और जनसंख्या के आधार पर जो अधिवास 3000 से कम जनसंख्या रखते हैं। इन्हें भी ग्रामीण केन्द्र के रूप शामिल किया गया है। इस प्रकार 1441 अधिवास ग्रामीण केन्द्रों की श्रेणी में आये हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र का अधिकांश भाग ग्रामीण है एवं अभी तक आठ अधिवासों की पहचान ही अभिवृद्धि केन्द्र एवं दो अधिवासों की पहचान अभिवृद्धि बिन्दु के रूप में की गई है।

सुझाव

शोधार्थी द्वारा किये गये अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि अध्ययन क्षेत्र में अभिवृद्धि केन्द्रों और अभिवृद्धि बिन्दुओं को विकसित करने की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे अध्ययन क्षेत्र भरतपुर जिले का समग्र विकास हो सके एवं यहां निवास करने वाले लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके जिससे लोग रोजगार व किसी अन्य सेवा के लिए अन्यत्र पलायन न करें। जिससे उनकी समय एवं धन की बचत हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Christaller, W.(1933) Central Places of Southern Germany Die Zentralen orte in suddentschland. Jena.*
2. *Sandar Son. D. (1932) The Rural Community, New York*
3. *Dickinson, R.E. (1930) Town Plans of East Angolia- A Staudy in urban morphology, geography vol. XIX*
4. *Hoffer, C.R. (1931) A Study of Town- Country Relationship, Michigan Agricultural Experimental station, Special Bullethin.*
5. *Berry, B.L.J./ Garrision, W. (1958) A note on Central Place Theory and Range of Good, Economic Geography, Vol. 34*
6. *Tiwari PC & Pandey, D.C. (1981) Tehsil Kashipur- A study in integrated area development, Ph. D. Thesis Kumaran University, Nanital (U.P.)*
7. *Mishra, R. N. (1981) Banswara district- A study of Habitat, Ph.D. thesis, University of Rajasthan, Jaipur*
8. *Singh, R.L. (1957) Typical Rural Dwellings in the Umland of Banaras, Vol. III*
9. *Bhatt. L.S. (1976) Micro Level planning- A case study of Karnal Area- Haryana.*
10. *Sen, L.K. & Others (1975) A Study of growth centres in Reichure, Hyderabad (NICD)*
11. *Parker, D.N. (1969) The Guttman Sealogram, An expirical Appraisal in Urban Geogaphy, "Asutralian Geographical Studies, Vol 7 P. 109-136, Melborne*
12 *Smails, A.E. (1944) The Urban Hierachy of England & Wales, Geographical Vol. 29*
13. *Neeraj Chauhan (2003) "बीकानेर जिले में नगरीय अभिवृद्धि केन्द्रों के विकास का भौगोलिक अध्ययन"*
14. *Bansal, S.C. (2004) Urban Geography*
15. *M.R.Verma (2004) जयपुर जिले में अभिवृद्धि केन्द्रों का अध्ययन*
16. *A. Geeta Reddy (2011) Urban Growth theories and Settlement System in India.*
17. *M.J. Moseley (2013) Growth Centres in Spatial Planning*
18. *Fulong W.U. (2015) Planning for Growth : Urban and Regional Planning in China.*
19. *Ashok Kumar (2016) Urban and Regional Planning Education.*
20. *Usha Varma, Anuradha Sahay, V.P.N. Sinha (2017) Introduction to Settlement Geography.*